संख्या- 2105 /2105 /33-3-2014-100(21)/2014

प्रेषक,

[redacted]
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर 2014

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास के संबंध में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अंत्येष्टि स्थलों के नागरिक अवस्थापना सुविधाये उपलब्ध कराने के उद्देशय से शासन द्वार अंत्येष्टि स्थलों का विकास का निर्णय लिया गया है जिसके संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना निम्नानुसार है:-

1. उद्देश्य

(1) शव की अंत्येष्टि हेतु उचित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाना।
(2) अंत्येष्टि स्थल में शव के साथ उपस्थित जनों को मूलभूत सुविधाएं यथा- पेयजल एवं शौच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
(3) शवदाह हेतु लकडियों की उचित व सुलभ व्यवस्था हेतु लकडी का टाल स्थापित किया जाना।
(4) इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाय कि यह प्रत्येक मौसम में बिना किसी कठिनाई के प्रयोग किया जा सके।
(5) अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को सक्षम किया जाना।

2. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कार्यक्रम का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज निदेशालय व उसके नियंत्रणाधीन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कार्य ऐसी ग्राम पंचायत जिसके भौगोलिक क्षेत्र में संबंधित अंत्येष्टि स्थल स्थापित है, द्वारा किया जायेगा। इस हेतु शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित/संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

3. संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए तकनीकी सहायता जिला पंचायत के तकनीकी स्टाफ, विकास स्तर पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा तथा लघु सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला स्तर पर तैनात सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रत्येक चयनित अंत्येष्टि स्थल में निम्नलिखित अवस्थापना सुविधायें निर्मित /व्यवस्थित की जायेगी:-

- अंत्येष्टि स्थल शेड (12 मीटर X 05 मीटर) (दो शवदाह हेतु) -1
- लोगों के बैठने के लिए शान्ती स्थल (08 मीटर X 06 मीटर) -1
- लकड़ी भण्डार गृह (04 मीटर X 04 मीटर) -1
- शौचालय एवं स्नान घर (4.5 मीटर X 1.5 मीटर) -1
- शवदाह स्थल पर इण्टर लाकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य।
- स्नान हेतु चबूतरा निर्माण (03 मीटर X 1.2 मीटर) -1
- हैण्डपम्प की व्यवस्था एवं जल निकासी इत्यादि।

5- चूँकि उक्त अवस्थापना सुविधायें ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा ही उनका निर्माण/ विकास किया जायेगा, अतः निर्माण होने के पश्चात आगामी वर्षो में अनुरक्षण पर व्यय ग्राम पंचायत द्वारा 13वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि /स्वयं के स्रोतों से आय से किया जायेगा। अंत्येष्टि स्थल प्रयोग करने वाली अन्य ग्राम पंचायतों द्वाराभी संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से उपर्युक्त योजनाओं से अनुरक्षण पर धनराशि व्यय की जा सकेगी।

6. जनपदों में अंत्येष्टि स्थल का चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा:-

6.1 प्रत्येक जनपद में ऐसे अंत्येष्टि स्थलों का वरीयता क्रम में चयन किया जाय जहां अधिकतम शवों का दाह किया जाता है।

6.2 प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकतम प्रयोग की परीक्षण क्रम में अंत्येष्टि स्थलों का चिन्हांकन ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा किया जायेगा। उक्त चिन्हांकन में अंत्येष्टि स्थल में प्रति वर्ष अंत्येष्टि किये गये शवों की संख्या, उपलब्ध भूमि के ग्राम सभा/सार्वजनिक स्वामित्व में होने, उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल, अंकित सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान आदि का उल्लेख किया जायेगा।

6.3 अंत्येष्टि स्थल नदियों के किनारे अथवा अन्य सुरक्षित स्थलों पर बनाए जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार स्थलों का चयन किया जायेगा।

6.4 अंत्येष्टि स्थलों का अंतिम चयन जनपद स्तर पर गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक/सदस्य

7. प्रदेश के सभी जनपदों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत सभी विकास खण्डों ~~को यथासंभव संख्या में~~ अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि प्रदान की जायेगी।

8. अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य दिशा-निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता संबंधित जनपद में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुसार संक्षिप्त विवरण अंत्येष्टि स्थल से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा।

10. अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु शासन द्वार निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0 के नियर्तन पर धनराशि रखी जायेगी, जो इसे चयनित /संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। धनराशि का उपयोग पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

11. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निदशक, पंचायती राज, 30प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यपूर्ति एवं धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी संपूर्ण जनपद के पंचायतों को दी गयी धनराशि का स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उक्त निर्माण का अनुश्रवण निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।

13. जिला पंचायत से प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, तत्पश्चात अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु लागत के आकलन के अनुसार संबंधित जनपदों हेतु अंत्येष्टि स्थलों के लिए धनराशि शासन द्वारा निदेशक, पंचायती राज,30प्र0 के नियर्तन पर रखने हेतु निर्गत की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त 30प्र0।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
विशेष सचिव।

ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल (शमशान घाट) का विकास कार्य।

CERTIFICATE

1- The provision of rates in this estimate are based as per current P.W.D. schedule of rate.

2- Provision of that items rates which are not available in P.W.D. schedule of rates are based on minimum market rate of material, labour and cartage.

3- The analysis of items rates are based on standard analysis of rates skelton of P.W.D.

4- The distance which has been taken in analysis of items rates are correct to the best of my knowledge.

5- All work shall be carried out as per P.W.D. Speciation.

J.E
R.E.D Lucknow.

A.E.
R.E.D. Lucknow.

ANALYSIS OF RATES

10

WORK :- ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल (शमशान घाट) का विकास कार्य।

shavdah grih & Shanti Sthal etc.	As plinth Area Rate	Rs **Rs.**	7700.00 Per cum **7700.00 Per cum**
and fixing of Hand pump and dange work place	L.S		**125000.00 No.**
work /Plantaion work	L.S		**10000.00 No.**

A.E.
R.E.D. Lucknow.

E
Lucknow.

दिनांक 01.08.2014 से [illegible]

(रूपये प्रति वर्गमीटर में)

क्रमसं0	विवरण	अनावासीय			आवासीय			
		उच्च अनावासीय भवन–सर्किट हाउस/ निरीक्षण भवन/ जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज	मध्य अनावासीय भवन–महाविद्यालय इन्टर कालेज/हाई स्कूल/कोषागार/कार्यालय/खाद्य उर्वरक, गोदाम/प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र/तहसील भवन/कलेक्ट्रेट	साधारण अनावासीय भवन–प्राइमरी स्कूल/जू0हा0स्कूल/ परिवार कल्याण केन्द्र बैरक/अन्य छोटे भवन	निम्न श्रेणी कर्मचारी हेतु आवास श्रेणी–1	साधारण आवास श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3	अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी–4	उच्च अधिकारियों हेतु आवास श्रेणी–5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)				34.2	57.708	178.5	225.4
	मंजिल अनुसार					79.00		
1.1	पहली मंजिल हेतु	13250	10000	7700	11300	11300	11900	12200
1.2	दूसरी मंजिल हेतु	12550	9500	7300	10600	10600	11250	11550
1.3	तीसरी मंजिल हेतु	13250	10000	7700	11300	11300	11900	12200
1.4	चौथी मंजिल हेतु	13850	10500	8000	11650	11650	12500	12800
				(श्रेणी चार एवं पाँच के आवासों के साथ गैरेज एवे सर्वेन्ट क्वाटर के लिए श्रेणी–1 के लिए प्रयुक्त दरें ही अपनायी जायेगी।)				
	अतिरिक्त प्राविधानों के लिए							
2.1	सामान्य ऊँचाई 2.90मी0 से ऊपर प्रत्येक 0.30 मीटर ऊँचाई के लिए	300	300	300	300	300	300	300
2.2	सामान्य कुर्सी ऊँचाई 0.60मी0 से अधिक प्रत्येक 0.30 मीटर ऊँचाई के लिए (केवल पहली मंजिल के लिए)	300	300	300	300	300	300	300
2.3	सामान्य नीव गहराई 1.20 मी0 से अधिक प्रत्येक 0.30 मी0 गहराई हेतु (केवल पहली मंजिल के लिए)	390	390	390	390	390	390	390

30.7.14 (Anil Kumar) AE
30/7/14 (R. Mittal) AG
30.7.14 (P.R. Verma) EE
30.7.2014 R.E (K.B. Maurya)
30/7/2014 (O.P. Verma) Staff officer C.M. Consultancy Office UPRVUNL
AE
M (K.P. Tripathi) UPAVP
30/7/14 GM (T) UPRVUNL
30/7/14 10 O/W D.
(V.K. Singh)
30.7.14 CDS, U.P. Saligram
30/7/14 GM (T) UPSIDCL

(12)

DETAIL OF MEASUREMENTS

NAME OF WORK :- ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल (शमशान घाट) का विकास कार्य।

S. No.	Particular	No.			L	B	Area	H/D	Qty	Unit
~~A~~	~~**Total Area of Proposed Constriction**~~	~~1~~	~~*~~	~~1~~	~~30~~	~~20~~		-	~~600.00~~	~~Sqm~~
B1	Area of Shavdeha Sthal	1	*	1	12	6			72.00	Sqm
B2	Area of ~~Shanti Sthal And~~ Office	1 ~~1~~	*	1 ~~1~~	~~6~~ 12 ~~9~~	~~3~~ 6 ~~6~~			~~18.00~~ ~~72.00~~ ~~54.00~~	~~Sqm~~ Sqm ~~Sqm~~
B3	Area of Toilet Block	1	*	1	9.86	1.50			14.79	Sqm
B4	~~Area of platfrom for deadbody~~	~~1~~	~~*~~	~~2~~	~~3.00~~	~~1.20~~			~~7.20~~	~~Sqm~~
B5	Area of Fire wood store	Developed by Gram Panchayat							~~158.79 Sqm.~~ ~~165.99~~	Sqm
	Total									
C	Net Area for Interlocking Tiles 80 mm thick over base concarete 1:6:12 cement, finesand 40 mm gage brick ballast.	Developed by Gram Panchayat							**1.00**	**No.**
D	Providing and fixing of Hand pump and dange work for above place								**1.00**	**No.**
E	Harticulture work /Plantaion work									

J.E
R.E.D Lucknow.

A.E.
R.E.D. Lucknow.

(13)

BILL OF QUANTITY

NAME OF WORK :- ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल (शमशान घाट) का विकास कार्य।

Particular	Qty	Unit	Rate	Amount
PRO. COVER AREA ON PLAN	~~165.99~~ 158.79	Sqm	7700.00	~~1278123.00~~ 1222683.00
Providing and fixing of Hand pump and dange work for above place	1.00	job L.S	125000.00	125000.00
Harticulture work /Plantaion work	1.00	job L.S	10000.00	10000.00
4. Platform for Dead body	2.00	job L.S	100000.00	200000.00
Total				~~1413123.00~~ 1377683.00
TOTAL				**~~1413123.00~~** 1377683.00

J.E
R.E.D Lucknow.

A.E.
R.E.D. Lucknow.

(14)

SUMMARY OF ESTIMATED COST
(FORM-J)

NAME OF WORK :- ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल (शमशान घाट) का विकास कार्य।

SI.No.	Particular	Amount	
1	COST OF WORK	Rs.	~~1413123.00~~ 1377683:00
2	ADD FOR LABOUR CESS @ 1%	Rs.	~~14131.23~~ 13776:83
3	ADD 6.875 % FOR CENTAGE CHARGES	Rs.	~~97152.21~~ 94715:70
4	ADD 2 % FOR CONTINGENCIES	Rs.	~~28262.46~~ 27553:66
	Total	Rs.	~~1552668.90~~ 1513729.6
	Say	**Rs.**	~~**15.52 Lacs**~~ 15.14 Lacs.

J.E.
R.E.D. Lucknow.

A.E.
R.E.D. Lucknow

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-लखनऊ

(बालकृष्ण कुमार)

मुख्य अभियन्ता (पूर्वांचल)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ.
(भवन वर्ग)

दिनांकः 15/x/.2014

पत्रांकः 1445 (1) बी0पी0विंग / 2014

सेवा में,

निदेशक
पंचायती राज,
जवाहर भवन, उ0प्र0
लखनऊ ।

विषयः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–5 / शा / 558 / 2014–5 / 52 / 2013 दि0 13.10.2014 ।

महोदय,

कृपया उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में [illegible] / आगणन एवं मानचित्र के मानकीकरण / अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगणन के अनुमोदन से पूर्व मानचित्र का मानकीकरण किया जाना आवश्यक होता है। अतः आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ वापस किया जा रहा है कि इस कार्य का मानचित्र निम्नानुसार तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें:–

1. मानचित्र ए–3 साइज पेपर पर तैयार कर तीन प्रतियों में प्रेषित किया जाये।
2. मानचित्र पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर के अभियन्ता के मूल हस्ताक्षर कराये जाये।
3. मानचित्र पर सम्बन्धित विभाग के सक्षम स्तर के अधिकारी के मूल हस्ताक्षर कराये जाये।
4. चूँकि यह कार्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कराया जाना है। अतः राज्य की विभिन्न मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्थाओं यथा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, समाज कल्याण निर्माण निगम, सी0एण्ड0डी0एस0 जल निगम, पकफड, प्रोजेक्ट कारपोरेशन इत्यादि में से किसी के माध्यम से मानचित्र एवं आगणन बनवाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार मानचित्र तैयार कर शासन के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे की उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नकः– आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूल में ।

भवदीय

(एस0पी0 सक्सेना)
मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो0नि0वि0, लखनऊ ।

517

उप निदेशक (पंचायत)

निदेशक
15/10/14

मु0 अभियंता (भवन)
लो0 नि0 वि0 लखनऊ

कृपया आपके उपरोक्त पत्र दि0 15.10.14 के क्रम में ग्रामीण अभि0 विभाग द्वारा तैयार किया गया आगणन संलग्न कर आ0 का0 हेतु प्रेषित है।

22.10.14
निदेशक पंचायती राज
उत्तर प्रदेश

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ,
वास्तुविद वर्ग, तृतीय इकाई।

दिनांक– 7-11-14

पत्रांक– 350 S.A-3/56 S.A-3/14

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (भवन),
लो0नि0वि0, लखनऊ।

विषयः–प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–मुख्य वास्तुविद को सम्बोधित आपका पत्रांक–1567/12बी0पी0 विंग/2014 दि0 05.11.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र के साथ विषयांकित प्रकरण के स्केच मानचित्र संलग्न करके प्रेषित किये गये हैं, जिन्हे अनुमोदित/मानकीकृत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। अवगत हों कि मानचित्रों के परीक्षण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत आवश्यकताओं/एरिया आदि की कोई सूची संलग्न नही है जिसके आधार पर मानचित्रों का परीक्षण किया जा सके।

मानचित्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड लखनऊ द्वारा बनाये गये हैं जो कि संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन तथा निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित है। अतः मानचित्र में दी गयी आवश्यकताओं/एरिया से प्रशासकीय विभाग की उक्त सहमति एवं कार्य की प्राथमिकता के दृष्टिगत प्रेषित मानचित्रों को वास्तुविदीय दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित किया जाता हैः–

1. शवदाह स्थल पर प्रस्तावित शेड की न्यूनतम ऊचाई 4200 मि0मी0 दी जानी होगी। मानचित्र मे दर्शाये गये सेक्शन इत्यादि को निर्माण कार्य से पूर्व प्लान से मैच कराया जाना होगा। ड्राइंग मे लाल रंग से दर्शाये गये सुझावों का समावेश किया जाना होगा।
2. मानचित्र में दर्शाये गये wood store, शान्ति स्थल तथा R. office की लोकेशन मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये गये सुझाव के अनुसार संशोधित करनी होगी।
3. मानचित्र में टायलेट में वेन्टिलेटर नही दर्शाये गये है। इन्हें दिया जाना होगा।
4. मानचित्र में दर्शाये गये प्रस्तावित भवन/शेड/स्टील ट्रस/फाउण्डेशन आदि की स्ट्रक्चरल डिजाइन को नियमानुसार स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा कराया जाना होगा।
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य NBC-2005 में वर्णित नार्म्स के अनुसार कराया जाना होगा।
6. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराना होगा।
7. परिसर में राज्य सरकार की नीति के अनुसार वृक्षारोपण करना होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों सहित अनुमोदित स्केच मानचित्रों के दो सेट अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न करके आपको प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार,
मानचित्रों के दो सेट मूल में।

भवदीय,

(वी0के0 टण्डन) 7/11/14
ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय ईकाई,

कार्यालय मुख्य अभि० (भवन)
प्राप्त पत्र सं०.....दिनांक.....
SE 10 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक पंचायती राज, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद, लो0नि0वि0, लखनऊ।

07/X,
मुख्य अभियन्ता (भवन)

ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय ईकाई,
लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि पत्र संख्या 350 SA-3/56 SA-3/14 (15)

दिनांक 7-11-14 में वर्णित शर्तों के अधीन मानचित्र अनुमोदित ।

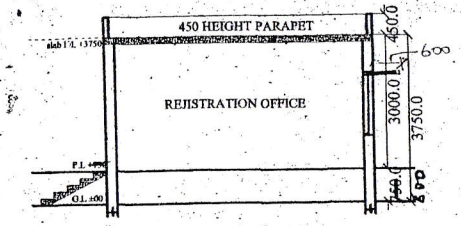

SECTION DETAIL-XX
SCALE- 1:50

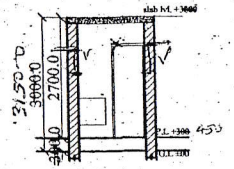

SECTION DETAIL-BB
SCALE- 1:50

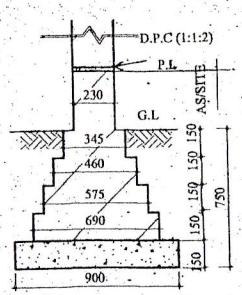

FOUNDATION DTL OF
230 TH WALL
NOT TO SCALE

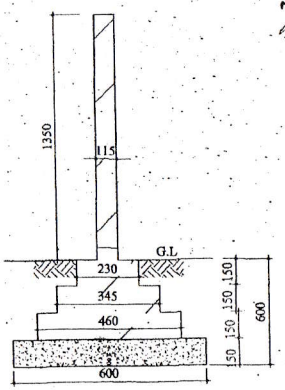

FOUNDATION DTL OF
115 TH WALL
NOT TO SCALE

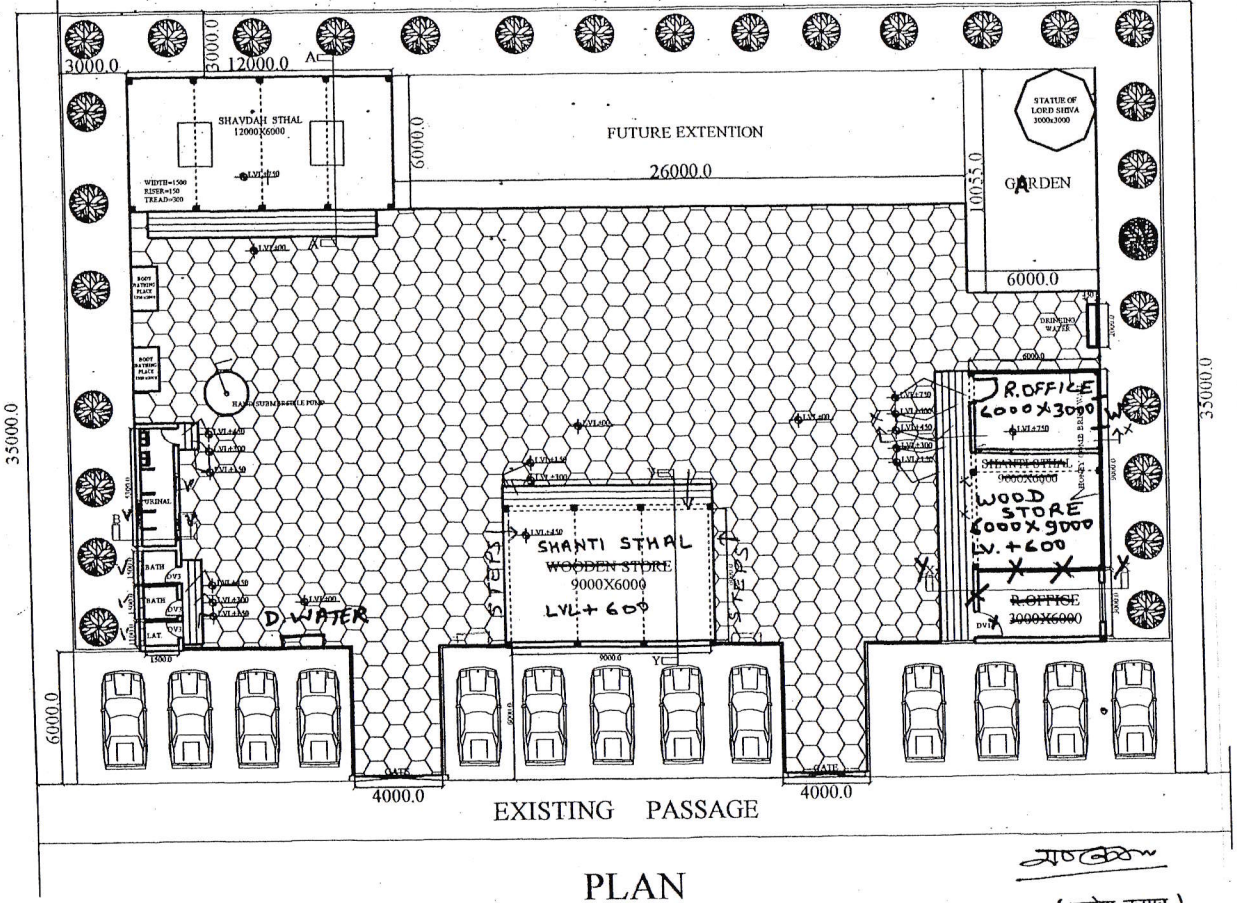

PLAN
SCALE- 1:100

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उ० प्र० शासन।

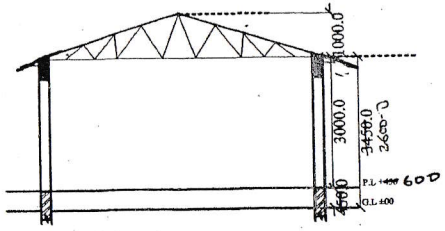

SECTION DETAIL-YY
SCALE- 1:50

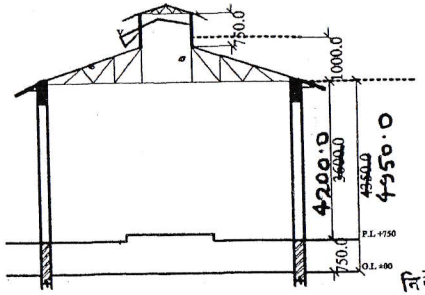

SECTION DETAIL-AA
SCALE- 1:50

PROPOSED DRAWING
FOR RURAL AREAS
INCRIMATION PLACE

R.P.Pande
(रवि प्रकाश पाण्डे)
वास्तुविद
उ०प्र० लोक निर्माण विभाग
लखनऊ

7/11/14
(विनय कुमार टण्डन)
मुख्य वास्तुविद (प्र०)
कार्यालय प्रमुख, लखनऊ

DOOR / WINDOW SCHEDULE

SL.NO.	NAME	SIZE	SILL
1	D	1050X2100	±00
2	D1	1000X2100	±00
3	D2	900X2100	±00
4	D3	750X2100	±00
5	DW	2000X2100	750
6	W	1800X1500	750
7	W1	1500X1500	1050
8	W2	1200X1500	1050
9	W3	970X1500	750
10	V1	600X1050	1500

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA = 1750 SQ.M.
PRO.COV.AREA ON PLAN=227.410 SQ.M
PRO.INTRELOCKING AREA=693.120SQ.M
OPEN GREEN AREA = 829.470 SQ.M.
TOTAL BOUNDARY LENGHT = 186 MT.
BOUNDARY HEIGHT = 1.80 MT.

DRG.TITLE	SCALE-
SUBMISSION DRGWING	AS SHOWN
	NORTH:

K.KUMAR J.E
A.K.VERMA A.E
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-लखनऊ

निदेशक पंचायती राज
उत्तर प्रदेश

ARCHITECT